कार्यालय, जिला परिषद् कैमूर (भभुआ)

जिला परिषद् माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक नियोजन– 2016से संबंधित

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा जिला परिषद् माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक **"शिक्षक नियोजन 2016"** के नियोजन से संबंधित सभी विषय/कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा संगीत एवं ललित कला विषय के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निदेशक मा0 शिक्षा, बिहार के पत्रांक 1947 दिनांक 09.12.2016 के आलोक में औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिसे एन.आई.सी. के बेबसाईट **www.kaimur.bih.nic.in** पर तथा जिला परिषद् कैमूर एवं नियोजन कोषांग के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

2. प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में यदि किसी अभ्यर्थी के नाम, पिता नाम, माता नाम, पता, कोटि, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्राप्तांक/पूर्णाक में त्रुटि हो तो वे निर्धारित विहित प्रपत्र में सुधार हेतु दिनांक **29.12.2016** तक कार्यालय अवधि पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक में जिला नियोजन कोषांग **"इण्टरस्तरीय उच्च विद्यालय भभुआ"** में आपत्ति स्वयं उपस्थित होकर हाथो–हाथ दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित विहित प्रपत्र का प्रारूप एन0आई0सी0 के वेववाईट पर ॲपलोड है।

3. आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र के साथ संबंधित साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आपत्ति प्रपत्र में अभ्यर्थी का वही हस्ताक्षर होना चाहिए जो आवेदन पत्र में किया गया हैं।

4. वैसे अभ्यर्थी जो स्नातक योग्यता से संबंधित कॉलम में सहायक एवं प्रतिष्ठा दोनो के अंक पत्र आवेदन के साथ संलग्न् नहीं किए हैं, उनके मेधा सूची में स्नातक का अंक नहीं जोडा गया है। संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि स्नातक सहायक (तीनों वर्ष का अंक पत्र) एवं प्रतिष्ठा दोनो के कुल योग से संबंधित अंक पत्र जमा करें। निर्धारित तिथि तक स्नातक के तीनों वर्षो का अंक पत्र जमा नहीं किए जाने की स्थिति में अंतिम पैनल के लिए उनकी दावेदारी समाप्त समझी जायेगी।

5. ललित कला विषय के वैसे अभ्यर्थी जो बी0एफ0ए0 के सभी खण्डों का एवं बोर्ड द्वारा प्रदत इण्टरमीडिएट का अंक पत्र जमा नहीं किए है वे अपना अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निर्धार्थित तिथि तक जमा करेगें अन्यथा की स्थिति में अंतिम पैनल से नाम हटा दिया जायेगा।

6. संगीत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होने संगीत इण्टरमीडिएट स्तर के संगीत भूषण, सीनियर डिप्लोमा तथा स्नातक स्तर के संगीत विसारद एवं संगीत प्रभाकर, स्नात्कोत्तर स्तर के भाष्कर पूर्ण एवं प्रवीणपूर्ण के सभी खण्डों एवं मैट्रिक बोर्ड द्वारा प्रदत अंक पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न् नहीं किए है वे अपना वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित समय पर जमा करना सुनिश्चित करेगें।

7. वैसे अभ्यर्थी जो अपने आवेदन पत्र के स्थायी पते में बिहार राज्य के बाहर का विवरण दर्ज किए हैं, यदि वे बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र आपत्ती हेतु निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेगें। निर्धारित तिथि तक निवास प्रमाण पत्र जमा नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थित्व समाप्त समझा जायेगा।

8. वैसे अभ्यर्थी जो नियोजन हेतु अर्हता पूर्ण नहीं किये है या जिनका आवेदन अपूर्ण है उनके आवेदन कों अस्वीकृत कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी का नाम औपबंधिक मेधा सूची में नहीं है और आवेदन पत्र जमा किये है एवं नियोजन हेतु अर्हता रखते है तो वे अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

9.. आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची में उनके आवेदन में दिए गये विवरण से भिन्न कोई त्रुटि अंकित हो तो निर्धारित समयावधि में आपति दर्ज करायें। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की आपति दर्ज नहीं करायी जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि प्रकाशित सूचना सही है एवं कालान्तर में उनके द्वारा किए जाने वाले दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(दिलीप कुमार)
उप विकास आयुक्त
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, कैमूर